NCV No. 2026/135

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

जमना देवी पत्नी ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :49 / 2026

अन्तर्गत धारा :– धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-3-26	प्रार्थीया श्रीमती जमना देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी बाणियावास तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बाणियावास के खसरा संख्या 100 150/1, 63 व 92 में पति का नाम ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लूणी को प्रार्थना पत्र की जांच लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक भू.अ./2026/615 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रैकर्ड के अनुसार ग्राम बाणियावास के खाता संख्या 138 में जमना पत्नी ओमाराम जाति सरगरा दर्ज है। ग्राम बाणियावास के नामान्तरण संख्या 199 के जरिये विरासत प्रार्थीयां का जमना पत्नी ओमाराम रैकर्ड में इन्द्राज हुआ है। तहसीलदार लूणी द्वारा पेश जांच रिपोर्ट में ग्राम बाणियावास के खसरा संख्या 100 150/1, 63 व 92 में प्रार्थीया पति का नाम ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करने की अनुशंषा की गई। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम बाणियावास के खसरा संख्या 100 150/1, 63 व 92 में प्रार्थीया पति का नाम ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करने की अनुशंषा की गई। प्रार्थीया की ओर से अपने अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम ओमप्रकाश दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम ग्राम बाणियावास के खसरा संख्या 100 150/1, 63 व 92 के राजस्व रैकर्ड में खातेदार जमना पत्नी ओमाराम के स्थान पर जमना देवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज कर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर. ए. एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	